तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4587/2006/बीकानेर राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य उपस्थितः– श्री धीरेन्द्र सिंह़, अभिभाषक प्रार्थी श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक निर्णय दिनांक 19–1–2023 1. यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय कृषि भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31–3–2006 के प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के समक्ष भूमिहीन के तौर पर भूमि आवंटन हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया । प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक से 3–5–1995 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में सहायक आयुक्त द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26–9–1998 को प्रार्थना–पत्र पुनः खारिज कर दिया। जिसके विरूद्व अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2006 द्वारा खारिज कर विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4587/2006/बीकानेर राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया न ही नोटिस दिया । रिमाण्ड आदेश के बाद विचारण न्यायालय ने प्रार्थी पर कोई नोटिस तामील नहीं हुआ । प्रार्थी के पास सबूत उपलब्ध थे किन्तु प्रार्थी को को सूचना नहीं दी और दिनांक 26–9–1998 को प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थी ने उसी दिन नकल लेकर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया । प्रार्थी एक गरीब भूमिहीन काश्तकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावे। 4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के मय सबूत उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की थी जिसे उन्होंने विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः निगरानी खारिज की जावे । 5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4587/2006/बीकानेर राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । 6– हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सहायक आयुक्त उपनिवेशन,कोलायत द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने निर्णय दिनांक 3–5–1995 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा अपील कोर्ट के निर्देशानुसार सबूत यथा सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र भूमि की तस्दीक, राजस्थान का सद्भावी निवासी का प्रमाण–पत्र, आदि पेश नहीं किए जाने के कारण आवंटन प्रार्थना–पत्र दिनांक 26–9–1998 निरस्त किया गया । विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–9–1998 के 8 वर्ष बाद दिनांक 31–1–2006 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई जिसका कोई संतोषजनक कारण मियाद प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक उपस्थित था एवं उक्त निर्णय उसकी जानकारी में था । इसके बाबजूद भी उसके द्वारा करीब 8 वर्ष बाद अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की । इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं था । विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26–9–1998 के 8 वर्ष बाद की देरी से प्रस्तुत अपील में भी विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार सर्वप्रथम तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर थी। द्वितीय प्रार्थी को विचारण न्यायालय ने समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली की आदेशिकाओं से प्रकट होता है । प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4587/2006/बीकानेर राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है। जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि निगरानी के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि** ''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''। **इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998** उनवानी **गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –** Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue. **ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–** Second appeal -Concurrent findings of law and facts- In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4587/2006/बीकानेर राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	extent that no judicial person could ever record such findings. उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । 7. उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4587/2006/बीकानेर राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए